न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी – 2578–III / 2015

प्र.क. /2015 (निगरानी)

श्री डी.एस. चौहान–एड्
द्वारा आज दि. 10/8/15 को
प्रस्तुत
10-8-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– मनोज कुमार पुत्र गनपतराम नामदेव निवासी–ग्राम रन्नौद कृषक, ग्राम–गागौनी, तहसील बदरवास, परगना कोलारस, जिला–शिवपुरी (म0प्र0)

2– किसन पुत्री भमरा लुहार निवासी– ग्राम गागौनी, टप्पा रन्नौद, तहसील बदरवास, परगना कोलारस जिला– शिवपुरी (म0प्र0) –––आवेदकगण

बनाम

मध्य प्रदेश शासन –––––अनावेदक

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता–1959 विरूद्ध अपर कलेक्टर जिला शिवपुरी म.प्र. के प्रकरण कमांक 205/13–14/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 3.7.2014 से परिवेदित होकर।

माननीय,

आवेदकगण का निगरानी आवेदन–पत्र निम्न लिखित प्रस्तुत है:–

प्रकरण के तथ्य:–

10/8/015

यहकि, विवादित भूमि सर्वे कमांक 776, 779 रकवा कमशः 0.15, 0.70 हैक्टर कुल किता–2 कुल रकवा 0.85 हैक्टर तहसील बदरवास टप्पा रन्नौद के ग्राम गागौनी में स्थित होकर, म.प्र. भू–दान यज्ञ बोर्ड द्वारा कृषि कार्य हेतु आवेदिका कमांक–2 किसन पुत्री भमरा लुहार को भू–दान पटटे पर प्रदान की जाकर, भूमिस्वामी धोषित किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2578–तीन/2015 जिला–शिवपुरी

मनोज कुमार व अन्य विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
26–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री डी.एस. चौहान अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 205/2013–14/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 03–07–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 7–06–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 26/4/19 सदस्य	